राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2261/2020

1. मैसर्स सुनील मेडिकोज, हॉस्पिटल रोड, गोटन, जिला नागौर फर्म के मालिक और सक्षम व्यक्ति श्याम लाल पुत्र श्री जयरामदास, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर के माध्यम से।
2. श्याम लाल पुत्र श्री जयरामदास, उम्र लगभग 70 वर्ष, गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य, दुर्ग नियंत्रण निरीक्षक, नागौर के माध्यम से।

---- प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री विशाल शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री मुकेश त्रिवेदी, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग

आदेश

रिपोर्टेबल

04/05/2023

वर्तमान विविध सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका याचिकाकर्ता द्वारा ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27, 28, 22 के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्तागण के खिलाफ सत्र मामले संख्या 15/2018 और आदेश दिनांक 23.07.2019 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेड़ता के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्तागण के खिलाफ मामले का आरोप तय कर दिया गया है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्तागण के खिलाफ मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेड़ता के समक्ष लंबित है। यह मामला एक शिकायत पर दायर वारंट केस की श्रेणी में आता है, जिसमें यह अनिवार्य है कि याचिकाकर्तागण के खिलाफ आरोप तय करने से पहले प्री-चार्ज साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने प्री-चार्ज साक्ष्य नहीं लिया था और साक्ष्य और सीधे याचिकाकर्तागण के खिलाफ आरोप तय किया गया। इन परिस्थितियों में आरोप तय करने संबंधी आदेश अपने आप

में अवैध है और निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया।

मैंने अपने समक्ष प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी वारंट मामले में, कोई साक्ष्य पेश होने से पहले ही, मजिस्ट्रेट सीधे आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है। प्रथम दृष्टया, सीआरपीसी की धारा 246(1) को उद्धृत करना प्रासंगिक है-

"246. प्रक्रिया जहां अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जाता है. -

(1) यदि, **जब ऐसा साक्ष्य लिया गया हो,** या मामले के किसी भी पिछले चरण में, मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट विचार करने के लिए सक्षम है और जो, उनकी राय में, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप तय करेंगे।

धारा 246(1) सीआरपीसी के अध्याय XIX के अंतर्गत आती है, जो वारंट मामलों की पुलिस रिपोर्ट के अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई का प्रावधान करती है।

जब आरोपी सीआरपीसी की धारा 244 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष की सुनवाई करनी होती है और अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य लेने होते हैं, और गवाहों को जिरह के लिए किसी दस्तावेज़ या चीज़ का परीक्षण या प्रस्तुत करने समन भी जारी कर सकते हैं। यह आरोप से पहले का साक्ष्य है। सीआरपीसी की धारा 246(1) के तहत, ऐसे सबूतों के आधार पर ही मजिस्ट्रेट आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ता है, अगर वह संतुष्ट है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

यह प्रश्न **अजॉय कुमार घोष बनाम झारखंड सरकार और अन्य** (2009) 14 एससीसी 115, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी विचार

के लिए आया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित -

"39....धारा की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि धारा 244(1) सीआरपीसी के चरण में शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, यदि मजिस्ट्रेट की यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, अपराध तय किया जाता है। इसलिए, आमतौर पर, जब साक्ष्य सीआरपीसी की धारा 244 के तहत पेश किया जाता है तो अभियोजन पक्ष द्वारा, मजिस्ट्रेट को उस पर विचार करना होगा, और यदि वह आश्वस्त है, तो मजिस्ट्रेट आरोप तय कर सकता है।

40. हालाँकि, अब यहाँ एक अस्पष्ट क्षेत्र है। धारा 246(1) सी.आर.पी.सी. बहुत ही अजीब शब्दों में लिखा गया है। उक्त ग्रे क्षेत्र "या मामले के किसी भी पिछले चरण में" वाक्यांश के कारण है। प्रश्न यह है कि क्या सीआरपीसी की धारा 244 के तहत कोई साक्ष्य मिलने से पहले ही मजिस्ट्रेट सीधे आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इस प्रश्न पर बहस नई नहीं है, हालाँकि इस मुद्दे पर इस न्यायालय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। ऐसे मामले हैं, जहां उच्च न्यायालयों ने विशेष रूप से यह विचार किया है कि यह वाक्यांश मजिस्ट्रेट को किसी भी साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोप तय करने का अधिकार नहीं देता है। इस स्तर पर, यह ध्यान में रखना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 246 में प्रयुक्त शब्द। "साक्ष्य" है, इसलिए धारा 244 सीआरपीसी में भी, प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" है। इसलिए, आमतौर पर, धारा 246 सीआर.पी.सी. के अनुसार है किसी भी साक्ष्य के आधार पर ही मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेना होता है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है।

53. अब, इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि आरोपी के पास गवाहों से जिरह करने का अवसर खो गया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट सीधे आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ गया है। उस दृष्टि से हमें आरोप तय करते हुए आदेश को रद्द करना होगा।' तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है। मामला अब ट्रायल कोर्ट में जाएगा, जहां अभियोजन पक्ष सीआरपीसी की धारा 244(1) के तहत गवाह पेश कर सकता है और अभियुक्त को जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद ही, ट्रायल कोर्ट यह तय करने के लिए आगे बढ़ेगा कि आरोप तय किया जाना है

या नहीं। हमारे द्वारा दिए गए कारणों को देखते हुए, इस मामले में तय किया गया आरोप स्पष्ट रूप से समय से पहले है। इसलिए, आरोप तय करने के आदेश को रद्द करना होगा।"

यह न्यायालय **धन्ना राम बनाम राजस्थान राज्य सरकार** के मामले में आपराधिक विविध याचिका संख्या 2393/2012 जिस पर 01.05.2013 को निर्णय लिया गया, में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिये गये निर्णय से अवगत है। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"इस मामले में निर्विवाद रूप से, पुलिस ने एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की थी। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया और ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत कार्यवाही शुरू की। और उसके बाद आरोपी को आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध के लिए तलब किया। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत कार्यवाही शुरू होते ही मामले ने एक शिकायती मामले का स्वरूप ले लिया। चूँकि इसमें शामिल अपराध आईपीसी की धारा 409 है, मामला एक शिकायत पर दायर वारंट मामले की श्रेणी में आएगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए और पप्पू बनाम रेखा (सुप्रा.), के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि एक बार वारंट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा शिकायत मामले की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यह अनिवार्य है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से पहले प्रीचार्ज साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए।

चूंकि वर्तमान मामला एक शिकायत मामले में स्थापित किया गया है, जिसमें 1973 अधिनियम की योजना और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अजय कुमार घोष मामले (सुप्रा.) की गई टिप्पणी के आलोक में जाती है, साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है, वारंट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा एक बार शिकायत मामले की प्रक्रिया अपनाई यह अनिवार्य है कि आरोप तय करने से पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिकाकर्तागण के खिलाफ प्री-चार्ज साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान मामले में, आरोप-पूर्व साक्ष्य के अभाव में, ट्रायल कोर्ट सीधे याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ा।

तदनुसार, विविध याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान सत्र न्यायाधीश,

मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2019 को रद्द कर दिया गया है और इसे एतद द्वारा अपास्त कर दिया गया है। वर्तमान मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया है और ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्तागण के खिलाफ आरोप तय करने पर विचार करने से पहले मामले में आरोप-पूर्व साक्ष्य रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है।

स्टे याचिका भी निस्तारित हो गई है।

(मनोज कुमार गर्ग), न्यायमूर्ति

136-Rashi/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।